•।। नमामि देवी नर्मदे ।।•

नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयास

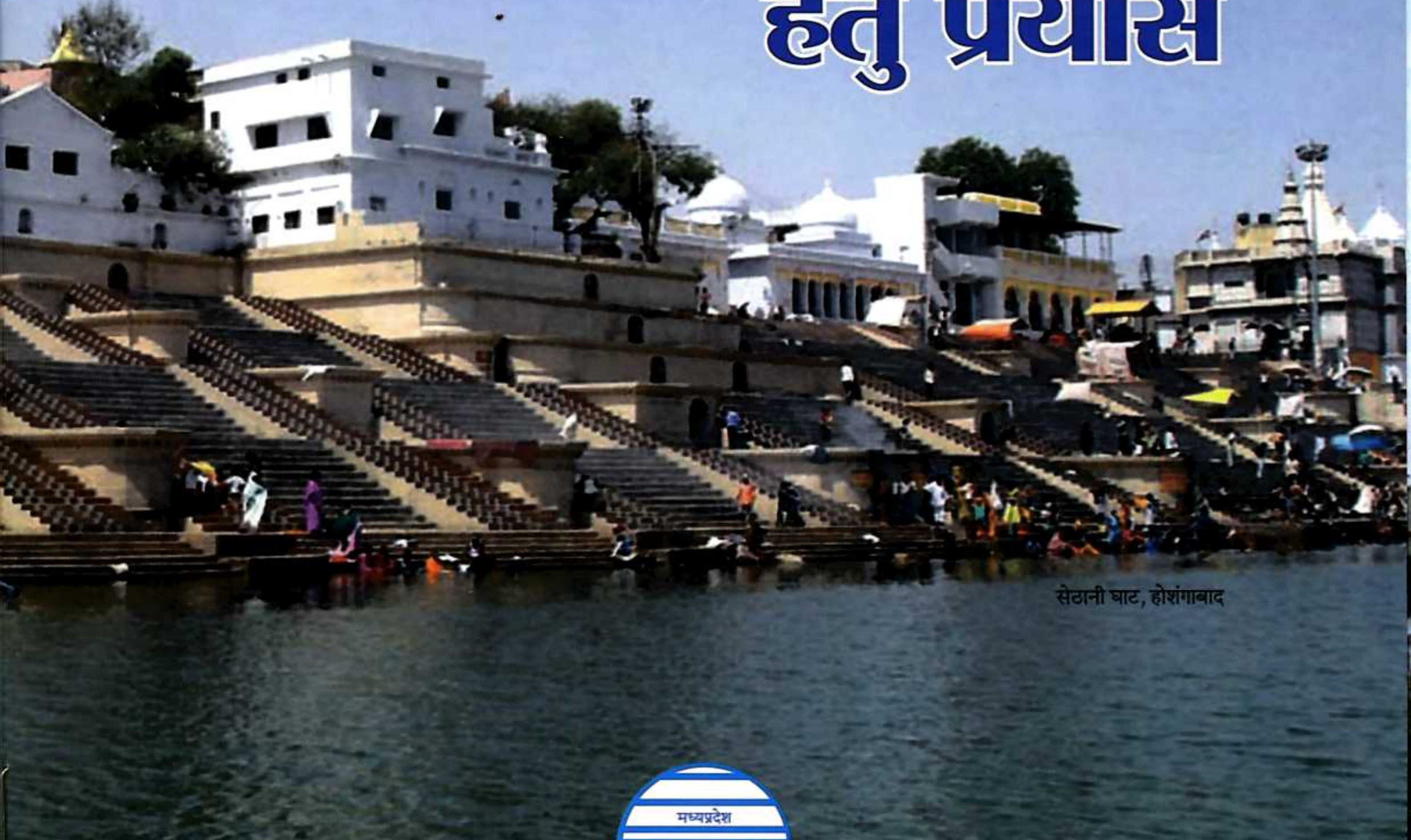

सेठानी घाट, होशंगाबाद

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन

क्रं.28/मुमंका/2017
भोपाल, दिनांक 016/01/2017

संदेश

हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "नमामि देवि नर्मदे सेवा यात्रा" के अवसर पर प्रदेश की जीवन रेखा माँ नर्मदा हेतु प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को संकलित कर जनजागरण पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

भारत वर्ष की पवित्रतम व पुण्य सरिताओं में माँ नर्मदा युगों-युगों से पूजनीय है तथा नर्मदा के प्रति जनमानस में अपार श्रद्धा है। नर्मदा केवल नदी मात्र ही नहीं अपितु आस्था और विश्वास का प्रतीक है, नर्मदा का जल निर्मल एवं प्रदूषणमुक्त ही बना रहे इस हेतु समग्र प्रयास किया जाना अत्यंत आवश्यक है। बोर्ड द्वारा तकनीकी एवं वैज्ञानिकी पहलुओं का समावेश करते हुये नदी जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्रयास तथा व्यापक जनजागरूकता सराहनीय हैं।

आशा है कि नर्मदा जल को स्वच्छ एवं निर्मल रखने हेतु किये गए तथा जारी समग्र प्रयासों का यह संकलन जन सामान्य के लिए अत्यंत उपयोगी होगा बोर्ड का यह प्रयास प्रशंसनीय है।

(शिवराज सिंह चौहान)

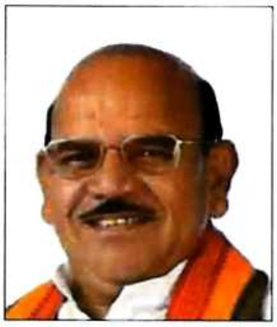

मध्यप्रदेश शासन

जावक क्रं. 7388
भोपाल, दिनांक 04/01/2017

अंतर सिंह आर्य
मंत्री
पशुपालन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास,
कुटीर एवं ग्रामोद्योग, पर्यावरण विभाग,
मध्यप्रदेश शासन

संदेश

जल के बिना जीवन अकल्पनीय है, भारतीय संस्कृति में सभी शुभ कार्यो में जल का आव्हान किया जाता है। जल की शुद्वता व सुरक्षा का दायित्व भी हम सबका संवैधानिक दायित्व है।

नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा के अंतर्गत नर्मदा को स्वच्छ व शुद्व बनाने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प क्रियान्वित किया है उसमें सभी शासकीय संस्थाओं के साथ धार्मिक, सामाजिक संगठनों तथा स्थानीय नागरिकों एवं श्रद्वालुओं के सहयोग का आव्हान किया गया है।

नर्मदा नदी में प्रदूषण की रोकथाम एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों के अंतर्गत किये जा रहे कार्य जन साधारण में पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने में अहम भूमिका निभायेंगे।

मुझे विश्वास है कि यह संकलन नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने में उपयोगी होगा।

(अंतर सिंह आर्य)

संदेश

नर्मदा नदी प्रदेश की सदानीरा नदियों में प्रमुख स्थान रखती है। जन संख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा आधुनिक जीवन शैली से जल खपत में वृद्धि तथा सीवेज की मात्रा में वृद्धि निरंतर जारी हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नर्मदा नदी के समीप स्थापित जल प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था सुदृढ़ कराई है तथा शून्य निस्त्राव हेतु प्रयास जारी है। राज्य शासन द्वारा नदी के किनारे 18 नगरों के सीवेज उपचार हेतु डीपीआर तैयार कराकर क्रियान्वयन जारी हैं।

बोर्ड द्वारा आमजन को प्रदूषण नियंत्रण हेतु जागरूक करने एवं उनसे सहयोग प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्थानों पर रैली, प्रदर्शनी, संगोष्ठी, स्लोगन राईटिंग, होर्डिंग, पम्पलेट वितरण आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार जारी हैं। नदी किनारे वृक्षारोपण की मुहिम से नदी का मूल रूप में पर्यावरणीय सरंक्षण सुनिश्चित् हो सकेगा। मान्नीय मुख्य मंत्री जी के नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा के दौरान आमजन को नदी संरक्षण के प्रति जागरूक करने हेतु यह पुस्तिका अत्यंत उपयोगी होगी। बोर्ड द्वारा किया गया यह प्रयास प्रशंसनीय है।

(मलय श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, पर्यावरण विभाग एवं
अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयास

नर्मदा नदी- पौराणिक एवं वैज्ञानिक महत्व :

देश के हृदय स्थल मध्यप्रदेश को क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा प्रदेश होने का गौरव प्राप्त है । नर्मदा नदी भारतवर्ष की प्रमुख सरिताओं में से एक है। धार्मिक ग्रंथों में नर्मदा के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होने की मान्यता है, जबकि गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य बताया गया हैं ।

मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में मेंकल पर्वत-मालाओं से आच्छादित अमरकंटक नर्मदा का उद्‌गम स्थल है । नर्मदा मध्यप्रदेश में 1077 किलोमीटर, मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र में 32 किलोमीटर, महाराष्ट्र-गुजरात में 42 किलोमीटर एवं गुजरात में 161 किलोमीटर प्रवाहित होकर कुल 1312 किलोमीटर पश्चात् अंततः गुजरात में भड़ूच के निकट खम्भात की खाड़ी में अरब सागर में समाहित होती है। नर्मदा के किनारे मुख्य रूप से कोरकू बारेला, गौंड़, भील, भिलाला, बैगा, जन-जातियॉ निवास करती हैं । जो नदी, पहाड़, जमीन, जंगल आदि के संरक्षण हेतु संवेदनशील हैं।

नर्मदा की बहाव यात्रा में 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक जल ग्रहण क्षेत्रवाली 41 सहायक नदियॉ मिलती हैं । इनमें से दायें तट पर मिलने वाली 19 सहायक नदियॉ सिल्ली, बलई,राधा, गौर, हिरन, बिरंग, तेन्दोनी, बारना, जामनेर, कोलार, सीप, उरी, हथनी, चनकेशर, खारी, कनार, चोरल, कारम, मान आदि हैं । बायें तट पर मिलने वाली 22 सहायक नदियॉ खारमेंर, दूधी, छोटातवा, बुढनेर, सुखरी, कावेरी, बंजर, तवा, खरकिया, तेमूर, हाथेर, कुण्डी, सोनेर, गंजाल, बोराड, शेर, अजनाल, डेब, शक्कर, मखक, गोई हैं ।

विश्व की प्रमुख सभ्यतायें बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। नर्मदा आस्था का केन्द्र बिन्दु होने से नदी के किनारे धार्मिक त्यौहारों व मेंलों के दौरान श्रद्वालुओं का समागम होता है। नर्मदा नदी की अपार जल क्षमताओं को दृष्टिगत रखते हुये अनेक वृहद, मध्यम, लघु सिंचाई एवं विद्युत परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं तथा प्रस्तावित हैं । नर्मदा पर विकास योजनाओं की स्थापना, शहरीकरण एवं औद्यौगिकीकरण होने से प्रदूषण का दवाब परिलक्षित हो रहा है। औद्यौगिकीकरण से जल प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों जिनका सीधा निस्त्राव नर्मदा में जाने की संभावना है, उनमें नर्मदा जिलेटिन जबलपुर, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, ट्राईडेन्ट लि0 बुधनी, वर्द्धमान यार्न बुधनी, एसोसिएटेड डिस्टलरी बडवाहा, अग्रवाल डिस्टलरी ग्राम खोडी, सेन्चुरी टेक्सटाईलस ठीकरी, मराल ओवरसीज लि0 निमरानी, खेतान केमिकल आदि हैं। बोर्ड के निर्देशानुसार सभी उद्योगों में जल प्रदूषणरोधी व्यवस्थाये स्थापित होकर संचालित हैं।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नर्मदा प्रदूषण शमन की कार्यवाही को गति देने हेतु मई 2011 में "नर्मदा प्रदूषण शमन समिति" का गठन किया गया तथा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में नर्मदा के सभी महत्वपूर्ण घाटों जिनमें अमरकंटक, डिंडोरी, मण्डला, बरमान, जबलपुर, नरसिंहपुर, बुधनी, होशंगाबाद, नेमावर ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, खलघाट, धरमपुरी, निमरानी, अलीराजपुर आदि शामिल हैं का सर्वेक्षण तथा

अनुश्रवण सतत् रूप से किया जा रहा है । बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष नर्मदा जयंती सहित विशेष स्नान पर्वों क्रमशः मकर संक्राति, शिवरात्रि, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या एवं प्रमुख त्यौहारों के अवसर पर विशेष अभियान चलाकर सम्पूर्ण नर्मदा नदी के सभी घाटों पर श्रद्धालु के एकंत्रित होने से उत्पन्न प्रदूषण के परिपेक्ष्य में नदी जल गुणवत्ता का आंकलन जारी है ।

घरेलू जल-मल उपचार की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इनसीटू बायोरेमेडियेशन व्यवस्था को उपयुक्त मानते हुये, बोर्ड द्वारा उपचार व्यवस्थाओं के अध्ययन हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित कर राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संस्थान (नीरी) एवं मेसर्स सृष्टि ईको रिसर्च इन्स्ट्रीट्यूट (सेरी) पुणे से सम्पर्क किया गया। सेरी पुणे से "ग्रीन ब्रिज" लो-कॉस्ट तकनीक को नर्मदा में मिलने वाले नालों पर क्रियान्वयन प्रयास जारी है । उद्योगों के सहयोग से सीएसआर के अंतर्गत जबलपुर शहर के तिलवाराघाट के निकट मिलने वाले खंदारी नाले पर बायो रेमेडियेशन आधारित अनुसंधान परियोजना स्थापित करवाई गई है। मेसर्स नर्मदा जिलेटिन्स लि. के माध्यम से सीएसआर के अंतर्गत भेड़ाघाट में पंचवटी घाट सीवेज नाले का डायवर्सन कराया गया है। अमरकंटक से अलीराजपुर के बीच में नदी किनारे पर्यावरण संरक्षण हेतु उद्योगों/संस्थानों को प्रोत्साहित कॅर वृक्षारोपण भी कराया गया है।

श्री नर्मदा नदी का पौराणिक महत्व स्कन्द पुराण में निम्नानुसार वर्णित है-

त्रिभिः सारस्वतं पुण्यं साप्ताहेन तु यामुनम ।
सद्यः पुनाति गांगेय दर्शनादेव नर्मदा ।।

अर्थात्

सरस्वती का जल तीन दिन में, यमुना-जल एक सप्ताह में तथा गंगाजल स्नान करने से तुरन्त ही पवित्र करता है, किन्तु श्री नर्मदा दर्शन मात्र से ही पवित्र करती है।

नर्मदाजी की महिमा का वर्णन चारों वेदों की व्याख्या में श्री विष्णु अवतार के समय वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवाखण्ड़ में किया गया है । अति सुन्दर एवं महारूपवती होने के कारण इसका नामकरण "नर्मदा" किया गया, इसके जल की निर्मलता का वर्णन करते हुये लिखा गया है :-

गंगा कनखले पुण्या, कुरूक्षेत्रे सरस्वती ।
ग्रामें वा यदि वारण्ये, पुण्या सर्वत्र नर्मदा ।।

अर्थात्

गंगा कनखल (हरिद्धार) में, सरस्वती कुरूक्षेत्र में पुण्यरूपा (निर्मल) है, पर नर्मदा गांव में, वन में कहीं भी बहे, वह सर्वत्र पुण्यमयी है।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नर्मदा नदी के पौराणिक एवं वैज्ञानिक महत्व को ध्यान में रखकर प्रदूषण नियंत्रण का सतत् प्रयास जारी है।

बोर्ड द्वारा नर्मदा नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयासों की जानकारी :

- नर्मदा का तटीय निरीक्षण/सर्वेक्षण कर प्रदूषणकारी स्रोतों का चिन्हीकरण।
- नर्मदा की वर्ष 2011 से 25 स्थानों से जल गुणवत्ता मानिटरिंग वर्ष 2015 से 31 स्थानों पर की जा रही है, वर्तमान में नदी जल गुणवत्ता 'ए' श्रेणी में है।
- तटीय नगरों के जल-मल व नगरीय ठोस अपशिष्ठ का प्रबंधन नगरीय निकाय के माध्यम से करवाना एवं इनसीटू ईको टेक्नॉलॉजी के अन्तर्गत सीवेज उपचार व्यवस्था वैकल्पिक की संभावना का आंकलन एवं डेमो प्लांट की स्थापना।
- नर्मदा के किनारे उत्पादनरत जल प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों की प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा व अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग हेतु कार्यवाही।
- नर्मदा से रेत खनन के पर्यावरणीय प्रबंधन को खनिज विभाग के माध्यम से कार्यवाही।
- नर्मदा तटों पर धार्मिक मेलों का पर्यावरणीय प्रबंधन नगरीय निकायों के माध्यम से कराने हेतु तकनीकी सहयोग।
- मूर्ति विसर्जन के लिये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों का पालन हेतु नगरीय निकायों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर 18 पृथक मूर्ति विसर्जन कुण्डों की स्थापना।
- उद्योगों, संस्थानों के सहयोग से सीएसआर के अंतर्गत नदी किनारे वृक्षारोपण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अन्य कार्य।

मूर्ति विसर्जन कुण्ड

नर्मदा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में मध्य प्रदेश के 25 जिले हैं जिनमें अनूपपुर, शहडोल, डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, छिन्दवाडा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल,रायसेन, सीहोर, खण्डवा, खरगौन, देवास, बड़वानी, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर शामिल हैं। म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शहडोल, जबलपुर, भोपाल, देवास, धार तथा इन्दौर में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं, जो प्रदूषण नियंत्रण की गतिविधियों को नियंत्रित करते हुये पर्यावरण संरक्षण का सतत् प्रयास करते हैं। मुख्यालयों के निर्देशन में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संपादित की गयी कार्यवाही का सार निम्नानुसार है:

क. जनजागरूकता हेतु किये गये प्रमुख प्रयास

1. अमरकंटक, डिण्डौरी, मण्डला, जबलपुर, बरमानघाट, होशंगाबाद, नेमावर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, धरमपुरी, अलीराजपुर, आदि प्रमुख स्थानों एवं स्नान घाटों पर जन-जागरूकता अभियान के अंतर्गत रैली, नुक्कड़ नाटक, वालपेंटिंग, पेम्पलेट वितरण, घाटों की सफाई, सेमीनार, वर्कशॉप, परिचर्चा, प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय नागरिकों, सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं, शासकीय-अशासकीय संस्थाओं, व्यवसायी वर्ग आदि सभी को इस नर्मदा नदी प्रदूषण शमन अभियान से जोड़ा गया।

2. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगरीय निकाय के अधिकारियों, होटल व्यवसायी तथा औद्योगिक संस्थानों के साथ बैठकें आयोजित कर जन-जागरूकता व्यापक स्तर पर की गयी तथा सभी स्तरों पर नर्मदा नदी में प्रदूषण रोकने की अपील की गयी।

3. नर्मदा जयंती, प्रमुख स्नान पर्वो, मकर संक्रांति, शिवरात्रि एवं स्थानीय मेलों के अवसरों पर जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग करायी गयी एवं नागरिकों, श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिये पेम्पलेट वितरण किये गये।

जन-जागरूकता रैली

नमामि देवी नर्मदे

नर्मदा तट पर प्रकृति की अपूर्व भव्यता के साथ-साथ मानवता का सहज सौंदर्य भी विद्यमान है। नर्मदा तट पर सामाजिक, धार्मिक महत्व के अनेकों स्थान हैं। माँ नर्मदा की सुन्दरता एवं प्राकृतिक विविधता के सानिध्य में महान ऋषि-मुनियों ने नर्मदा तट पर तपस्या की है। आदि शंकराचार्य ने नर्मदा की नैसर्गिक विविधता को नर्मदाष्टक में लेख किया है :

सुमत्स्य कच्छ नक्र-चक्र-चक्रवात-शर्मदे
त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे ॥

(अर्थात् मछलियां, कछुये, मगर, चक्रवाकादि पक्षियों को सदैव सुख देने वाली हे नर्मदे, तुम्हारे चरणों को मैं नमन करता हूँ)।

नमामि देवी नर्मदे

नर्मदा की महिमा का वर्णन स्कन्द पुराण, अवंत्य खण्ड-रेवा खण्ड में निम्नानुसार उल्लेखित है :-

सप्तकल्पक्षये क्षीणे न मृता तेन नर्मदा ।
नर्मदैकैव राजेन्द्र परंतिष्ठेत्सरिद्वरा ॥

(नर्मदा ही एकमात्र सात कल्पों से सदानीरा है। पुराणों में नर्मदा को कल्पों तक सदानीरा रहने का उल्लेख है)।

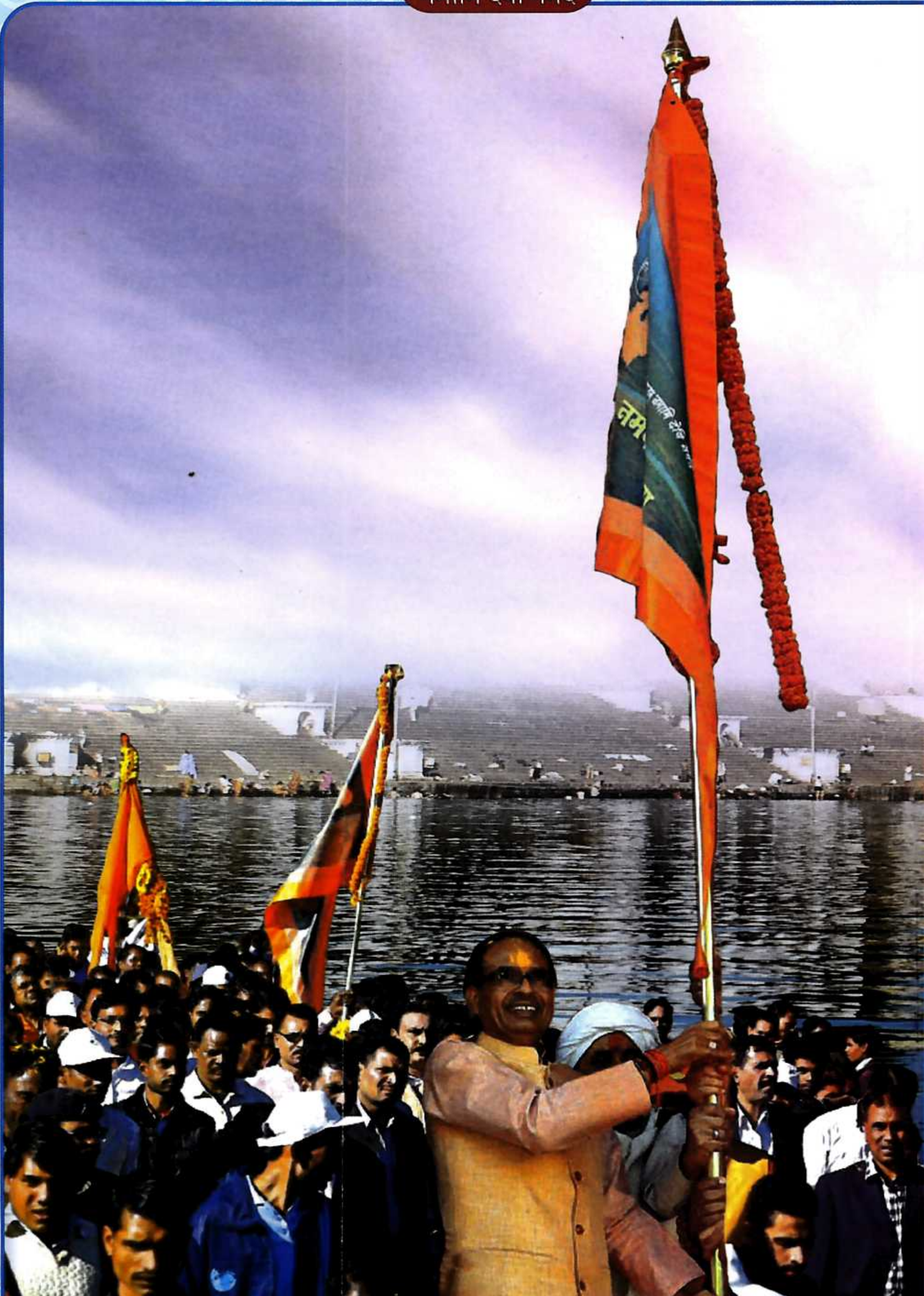

॥ नमामि देवी नर्मदे ॥

4. नर्मदा नदी किनारे स्थित मंदिरों के पुजारियों से संपर्क कर पॉलिथिन कैरी बैग का उपयोग नहीं करने की अपील की गयी तथा प्रोत्साहन स्वरूप कई स्थानों पर कपड़े के बैग वितरण किये गये।

साधु-संतों, शिक्षाविदों, वरिष्ठ नागरिकों से विमर्श

स्कूल के छात्रों हेतु जागरूकता अभियान

ख. उद्योगों से प्रदूषण नियंत्रण की कार्यवाही तथा शून्य निस्त्राव हेतु प्रयास

1. मेसर्स नर्मदा जिलेटिन जबलपुर से नर्मदा नदी में प्रदूषण की संभावना को दृष्टिगत रखकर दूषित जल उपचार संयंत्र उन्नयन के अंतर्गत आर.ओ.की स्थापना कराकर शून्य निस्त्राव की स्थिति सुनिश्‍चित कराई गयी है तथा एमईई की स्थापना फरवरी 2017 तक कराने के निर्देश दिये गये हैं।
2. मेसर्स सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद से नर्मदा नदी में प्रदूषण की संभावना को दृष्टिगत रखकर दूषित जल उपचार संयंत्र उन्नयन के अंतर्गत आर.ओ. की स्थापना एवं उपचारित दूषित जल का अधिकाधिक पुनर्उपयोग कराकर शून्य निस्त्राव की स्थिति सुनिश्चित कराना प्रक्रियारत है। वर्तमान में लगभग 4000 कि. ली/दिन उपचारित निस्त्राव का उपयोग सुनिश्चित कराया गया है।
3. मेसर्स वर्धमान यार्न, बुधनी, जिला होशंगाबाद से नर्मदा नदी में दूषित जल उपचार संयंत्र उन्नयन के अंतर्गत आर.ओ., एमईई एवं ड्रायर की स्थापना कराकर शून्य निस्त्राव की स्थिति सुनिश्चित कराई गयी है।
4. मेसर्स ट्राईडेन्ट इंडस्ट्रीज, बुधनी, जिला होशंगाबाद से नर्मदा नदी में दूषित जल उपचार संयंत्र उन्नयन के अंतर्गत आर.ओ., एमईई एवं ड्रायर की स्थापना कराकर शून्य निस्त्राव की स्थिति सुनिश्चित कराई गयी है।
5. मेसर्स अग्रवाल डिस्टलरी लि. बड़वाहा जिला खरगौन से नर्मदा नदी में प्रदूषण की संभावना को दृष्टिगत रखकर दूषित जल उपचार संयंत्र उन्नयन के अंतर्गत एमईई एवं ड्रायर की स्थापना कराकर शून्य निस्त्राव की स्थिति सुनिश्चित कराई गयी है।
6. मेसर्स एसोसियेटेड अल्कोहल, खोरी, बड़वाहा जिला खरगौन से नर्मदा नदी में प्रदूषण की संभावना को दृष्टिगत रखकर दूषित जल उपचार संयंत्र उन्नयन के अंतर्गत आर.ओ., एमईई एवं ड्रायर की स्थापना कराकर शून्य निस्त्राव की स्थिति सुनिश्चित कराई गयी है।
7. मेसर्स सेंचुरी डेनिम, ठीकरी तथा मेसर्स मराल ओवरसीज, निमरानी जिला खरगौन में दूषित जल उपचार संयंत्र उन्नयन के अंतर्गत आर.ओ. की स्थापना एवं उपचारित निस्त्राव का पुनर्उपयोग प्रक्रियागत है।
8. अमरकंटक से अलीराजपुर के बीच नर्मदा नदी जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग 31 बिन्दुओं पर की जाकर निगरानी रखी जा रही है। वर्ष 2015 एवं 2016 में कराई गयी जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग के परिणामों के अनुसार नदी जल गुणवत्ता भारतीय मानक-2296 के अनुसार 'ए' श्रेणी (सर्वोच्च) में है।

ग. नदी किनारे नगर/शहर से उत्पन्न सीवेज उपचार हेतु डिमांस्ट्रेशन प्लांट की स्थापना

1 अमरकंटक में नर्मदा उद्गम स्थल के कोटि तीर्थ घाट पर पानी में घुलित गंदगी को पृथक करने हेतु नगर परिषद अमरकंटक के माध्यम से फिल्ट्रेशन प्लांट की स्थापना करायी गयी।

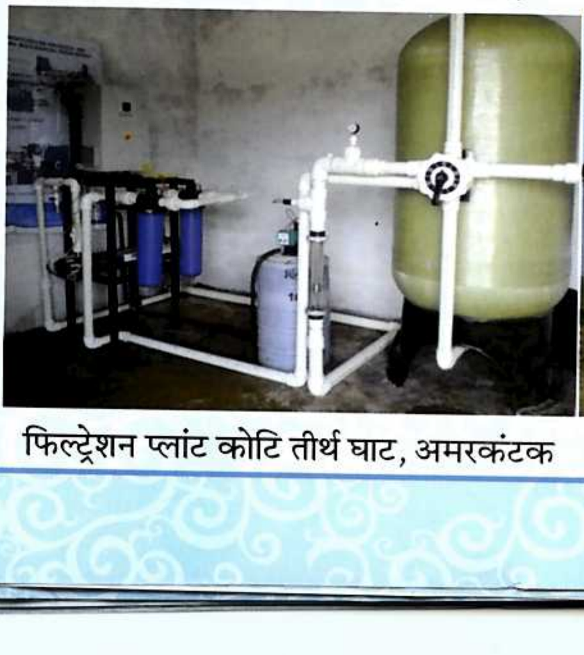

फिल्ट्रेशन प्लांट कोटि तीर्थ घाट, अमरकंटक

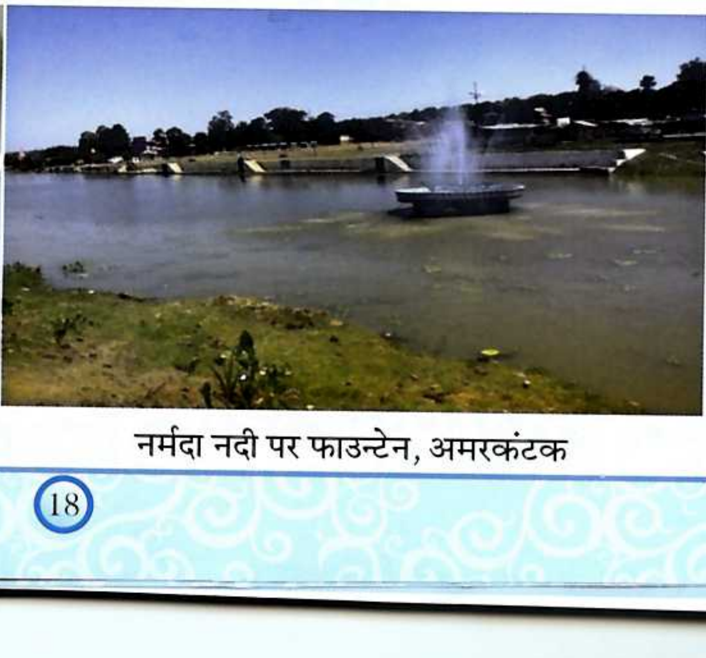

नर्मदा नदी पर फाउन्टेन, अमरकंटक

2 अमरकंटक स्थित राम घाट पर नदी में घुलित आक्सीजन का संचार बनाये रखने हेतु मेसर्स ओरियंट पेपर मिल्स अमलाई के माध्यम से फाउंटेन की स्थापना तथा सौंदर्यीकरण हेतु गार्डन विकासित कराया गया है।

3 अमरकंटक स्थित कल्याण आश्रम (कल्याणिका शिक्षा सदन) में घरेलु दूषित जल के उपचार हेतु 25 कि. ली./दिन क्षमता के एसटीपी की स्थापना कराई गयी।

4 गणेश एवं दुर्गा महोत्सव के दौरान मूर्ति विसर्जन हेतु नदी किनारे पृथक से विसर्जन की व्यवस्था करायी गयी।

5 जबलपुर अंतर्गत भेड़ाघाट नाले का सीवेज नर्मदा नदी में मिलने से रोकने हेतु नाले का इन्टरसेपसन एवं डायवर्सन का कार्य मेसर्स नर्मदा जिलेटिन्स के माध्यम से कराया गया। भेड़ाघाट में नर्मदा नदी के किनारे वृक्षारोपण कराया गया।

सीवेज नाला इन्टरसेपसन एवं डायवर्सन, भेड़ाघाट

6 जबलपुर अंतर्गत खंदारी नाले के माध्यम से नर्मदा नदी में मिलने वाले सीवेज को नर्मदा नदी में मिलने के पूर्व उपचार व्यवस्था के अंतर्गत इन-सिटू बायोरेमीडियेशन प्लांट की व्यवस्था करायी गयी।

इन-सिटू बायोरेमीडियेशन डेमो प्लांट, खंदारी नाला जबलपुर

7 जबलपुर अंतर्गत तिलवारा घाट पर घरेलु दूषित जल के उपचार हेतु नगर निगम के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना करायी गयी।

8 अमरकंटक में नर्मदा नदी तटों पर मेसर्स एस.ई.सी.एल., मेसर्स हिण्डाल्को इण्ड. लि. एवं मेसर्स रिलाइंस इण्डस्ट्रीज लि. के माध्यम से वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराया गया।

9. घरेलु दूषित जल के नाले जो नर्मदा नदी में सीधे मिलते हैं, का प्राकृतिक उपचार कराने हेतु देश की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान के विशेषज्ञों का डिंडोरी, मंडला, होशंगाबाद में भ्रमण कराया गया तथा योजना क्रियान्वयन हेतु नगरीय निकायों के अधिकारियों सहित जिला कलेक्टर से चर्चा की गयी।

घ. वृक्षारोपण तथा अन्य प्रयास

बोर्ड द्वारा सीमित संसाधनों में नर्मदा प्रदूषण शमन हेतु कार्यवाही जारी है। औद्यौगिक प्रतिष्ठानों से कार्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर) के अंतर्गत नर्मदा के दोनों तटों पर लगभग 32 लाख वृक्षों के रोपण तथा उनके पांच वर्षो तक रख-रखाव की सहमति प्राप्त की गयी है। बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश शासन के माध्यम से जिला कलेक्टरों व नगरीय निकायों को नर्मदा तट के दोनों ओर 500 मीटर क्षेत्र की भूमि चिन्हित कर वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराने के प्रयास किये गए हैं। अमरकंटक, भेड़ाघाट, नरसिंहपुर, बुधनी धरमपुरी एवं पुनासा में उद्योगों/संस्थानों के माध्यम से वृक्षारोपण कराया गया है।

वृक्षारोपण भेड़ाघाट, जबलपुर

वृक्षारोपण अमरकंटक, शहडोल

नर्मदा किनारे ग्राम, नगर, शहर से उत्पन्न जल-मल के समुचित उपचार करने हेतु नगरीय निकायों को निर्देश देकर कार्यवाही जारी है। इसी के तहत् म.प्र.शासन द्वारा घरेलु जल-मल एवं निकासी उपचार संयंत्र योजनाएं निम्नानुसार प्रस्तावित हैं :-

क्र	नगर/शहर	अनु. लागत (करोड़ रू.)	प्रगति
1	अमरकंटक	15.00	निविदा
2	डिण्डोरी	30.00	निविदा
3	मण्डला	70.00	डी.पी.आर.
4	जबलपुर	600.00	डी.पी.आर.
5	भेड़ाघाट	25.00	डी.पी.आर.
6	नरसिंहपुर	70.00	डी.पी.आर.
7	होशंगाबाद	200.00	डी.पी.आर.
8	शाहगंज	35.00	डी.पी.आर.
9	बुधनी	15.00	डी.पी.आर.
10	नसरूल्लागंज	42.00	डी.पी.आर.
11	नेमावर	20.00	डी.पी.आर.
12	ओंकारेश्वर	30.00	डी.पी.आर.
13	सनावद	70.00	डी.पी.आर.
14	सेंधवा	30.00	डी.पी.आर.
15	मण्डलेश्वर	30.00	डी.पी.आर.
16	महेश्वर	40.00	डी.पी.आर.
17	धरमपुरी	20.00	डी.पी.आर.
18	बड़वानी	60.00	डी.पी.आर.
	योग	1402.00	

पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस वर्ष 2017

02 फरवरी	विश्व आद्र भूमि दिवस
03 फरवरी	नर्मदा जयंती
03 मार्च	विश्व वन्य जीव दिवस
04 मार्च	अर्थ आवर दिवस
21 मार्च	विश्व वानिकी दिवस
22 मार्च	विश्व जल दिवस
23 मार्च	विश्व मौसम विज्ञान दिवस
01 अप्रेल	विश्व ऊर्जा दिवस
22 अप्रेल	वसुंधरा दिवस
08 मई	प्रवासी पक्षी दिवस
22 मई	विश्व जैव विविधता दिवस
05 जून	विश्व पर्यावरण दिवस
1-7 जुलाई	वन महोत्सव सप्ताह
28 जुलाई	विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस
09 अगस्त	विश्व जनजातिय दिवस
20 अगस्त	अक्षय ऊर्जा दिवस
16 सितम्बर	विश्व ओजोन दिवस
1-7 अक्टूवर	वन्य प्राणी सप्ताह
02 अक्टूबर	विश्व पर्यावास दिवस
03 अक्टूवर	विश्व प्रकृति दिवस
02 दिसम्बर	राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस
03 दिसम्बर	राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस
05 दिसम्बर	विश्व मृदा दिवस
14 दिसम्बर	राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस

माननीय पर्यावरण मंत्री के मार्गदर्शन में हरियाली महोत्सव में
वृक्षारोपण-दिनांक 4.8.2016 नर्मदा नगर, पुनासा

माननीय पर्यावरण मंत्री के मार्गदर्शन में हरियाली महोत्सव में वृक्षारोपण-दिनांक 4.8.2016 नर्मदा नगर, पुनासा

मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत गठित एक सांविधिक संगठन है। राज्य में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिये सर्व प्रथम सितम्बर 1974 में बोर्ड गठित किया गया था। गठन के उपरांत पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के बढ़ने से जल अधिनियम 1974 के साथ-साथ वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 एवं इनके अंतर्गत विभिन्न नियम व अधिसूचनाओं में निर्धारित दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेंदारी भी है।

संपादक मंडल

संरक्षक : श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास तथा पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

संपादक : श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव

संयोजन : श्री व्ही.के अहिरवार, डायरेक्टर (पर्यावरण)
श्री अभय सराफ, अधीक्षण यंत्री

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-16

फोन : 0755-2464428,2466191,

फैक्स : 0755- 2463742

मध्यप्रदेश माध्यम/2016